रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2822] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 3, 2017/आश्विन 11, 1939
No. 2822] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2017/ASVINA 11, 1939

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017

का. आ. 3223(अ.)—जैसा कि, यमन में सुरक्षा स्थिति, देश के कई भागों में युद्धस्थिति जैसे हालात के चलते, नाजुक बनी हुई है और सुरक्षा की दृष्टि से यमन अति संवेदनशील बना हुआ है;

और जैसा कि, यमन में संकटपूर्ण सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, भारत सरकार ने विभिन्न यात्रा परामर्श जारी किए जिनमें भारतीय नागरिकों को किसी अगली सूचना तक वायु, जल, थल मार्ग सहित किसी भी यात्रा माध्यम से, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उद्देश्य से उक्त देश की यात्रा न किए जाने की सख्त सलाह दी गई है;

और जैसा कि, मौजूदा यात्रा परामर्शों के बावजूद कुछ भारतीय नागरिकों ने यमन की यात्रा करना जारी रखा है;

और जैसा कि, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 19 भारत सरकार को कतिपय देशों की यात्रा के लिए पासपोर्टों और यात्रा दस्तावेजों को अमान्य किए जाने हेतु अधिसूचना जारी करने का अधिकार देता है; और उक्त धारा के खंड (घ) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जनहित में किसी देश की यात्रा निषिद्ध किए जाने की अधिसूचना जारी किए जाने पर, क्योंकि इस प्रकार की यात्रा भारत सरकार के विदेशी मामलों संबंधी व्यवहार पर गंभीर दुष्प्रभाव डालेगी, ऐसे किसी देश की या उस देश से होकर की जाने वाली यात्रा हेतु पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज ऐसी यात्रा या आवागमन के लिए मान्य नहीं होंगे, जब तक कि उन पर निर्धारित प्राधिकारी द्वारा ऐसी किसी यात्रा के संबंध में निर्धारित प्रारूप में विशेष पृष्ठांकन न किया गया हो;

अतः अब, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 19 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस विचार से कि ऐसा किया जाना जनहित में आवश्यक और समयोचित है, एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करती है, अर्थात;

(i) भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज, धारक की यमन यात्रा के लिए अमान्य है, क्योंकि धारक की यमन यात्रा भारत सरकार के विदेशी मामलों संबंधी व्यवहार पर गंभीर दुष्प्रभाव डालेगी;

(ii) कोई भी भारतीय नागरिक, जो इस अधिसूचना के उल्लंघन में यमन की यात्रा करता है, उक्त पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु दायी होगा और उसका पासपोर्ट उक्त अधिनियम के खंड 10 के उप-खण्ड (3) के अंतर्गत जब्तीकरण अथवा निरसन, जैसा भी मामला हो, का दायी होगा;

(iii) इस अधिसूचना के माध्यम से जारी किए गए दिशा-निर्देशों का किसी भी धारक द्वारा उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत पासपोर्ट के निरसन की तिथि से अगले 7 वर्षों तक पासपोर्ट अस्वीकृति हेतु दायी होगा;

(iv) भारतीय नागरिकों को यमन भेजने वाला कोई भी भर्ती अभिकर्ता या कंपनी, व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से स्वयं जिम्मेदार होगा और ऐसे सभी अभिकर्ता अथवा कंपनी, इनके सभी निदेशकों समेत, भारतीय दंड संहिता के उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन हेतु पात्र होंगे, यदि इस प्रकार से यमन भेजे गए भारतीय नागरिक यमन की यात्रा के समय मारे जाते हैं, अपहृत हो जाते हैं अथवा उन्हें कोई नुकसान पहुंचता है;

(v) उपरोक्त के अतिरिक्त, भारतीय नागरिकों को यमन ले जाने वाले विदेशी जहाजों के मालिकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही भी आरंभ की जाएगी और उन्हें भविष्य मे भारत यात्रा हेतु वीजा नहीं दिया जाएगा।

(2) उपरोक्त दिशा-निर्देश विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय दूतावास, साना में पदस्थापित भारत सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा अपने कार्यालयी दायित्वों के निर्वहन के लिए यमन की यात्रा करने वाले भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए लागू नहीं हैं।

(3) उपरोक्त दिशा-निर्देशों में केंद्र सरकार द्वारा यात्रा के विशिष्ट और आवश्यक कारणों के आधार पर छूट प्रदान की जा सकती है, जिसके लिए आवेदक द्वारा खास तौर पर निवेदन के चलते केंद्र सरकार द्वारा सीमित समय-अवधि के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है हालांकि आवेदक यह यात्रा स्वयं के जोखिम पर करेगा जिसकी ज़िम्मेदारी भारत सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार की नहीं होगी। इस प्रकार की छूट के लिए कोई भी अनुरोध jsgulf@mea.gov.in पर भेजा जा सकता है।

(4) उपरोक्त दिशा-निर्देश यमन की यात्रा हेतु भारतीय दूतावास, साना द्वारा अलग से और इनके साथ जारी किए गए किसी नए यात्रा परामर्श के साथ पढ़े जाएंगे ।

[फा. सं. VI/401/1/11/2017]

अरुण कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (पी.एस.पी.) एवं
मुख्य पासपोर्ट अधिकारी (सी.पी.ओ.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2017

S.O. 3223(E).—Whereas, the security situation in Yemen continues to be fragile with armed hostilities continuing in parts of the country and Yemen remains vulnerable from the security point of view;

And whereas, in view of the precarious security situation in Yemen, the Government of India issued various travel Advisories wherein Indian nationals have been strongly advised to avoid travelling to that country under any circumstances, by any mode of travel, including air, land or sea for any purpose till further notice;

And whereas, despite the existing travel advisories, some Indian nationals have continued to travel to Yemen;

And whereas, section 19 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967) empowers the Central Government to issue a notification to make invalid the Passports and travel documents for travel to certain countries; and clause (d) of said

section provides that upon the issue of the notification by the Central Government that a foreign country to which travel must be restricted in the public interest because such travel would seriously impair the conduct of foreign affairs of the Government of India, and a passport or travel document for travel through or visiting such country shall cease to be valid for such travel or visit unless in any case a special endorsement in that behalf is made in the prescribed form by the prescribed authority;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 19 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby issues the following directions, namely:—

(i) the passport or travel document issued by the Central Government is invalid for the travel of holder to Yemen as the travel of the holder to Yemen would seriously impair the conduct of foreign affairs of the Government of India;

(ii) any Indian national who travels to Yemen in violation of this notification, shall be liable for action under section 12 of the said Passports Act, 1967 and the passport shall be liable for impounding or revocation, as the case may be, under sub-section (3) of section 10 of the said Act;

(iii) violation of the directions issued by this notification by any holder shall be liable for refusal of passport under section 6 of the said Act for a period of seven years from the date of revocation of such passport;

(iv) any Recruiting Agent or a Company sending Indian nationals to Yemen shall be individually or collectively held responsible, and all such Agents or Company, including all its Directors, shall personally be liable to be prosecuted under the relevant provisions of the Indian Penal Code, if the Indian nationals so sent are killed or kidnapped or come to any harm, while travelling to Yemen;

(v) in addition to above, criminal proceedings also may be initiated against owners of the foreign ships carrying Indian nationals to Yemen and visas shall be denied to them for any future travel to India.

2. The aforesaid directions are not applicable to the officials of the Government of India posted in the Indian Embassy in Sana by the Ministry of External Affairs and for the officials of the Government of India or any State Government travelling to Yemen for attending of their official duties.

3. The aforesaid directions may also be relaxed by the Central Government for specific and essential reasons of travel, for which permission for a limited time period may be granted by the Central Government at the express request of the applicant who would, nevertheless, travel at his or her own personal risk without any liability to the Government of India or any State Government concerned and any such request for exemption may be sent to jsgulf@mea.gov.in.

4. That the aforesaid directions may be read in conjunction with any fresh Travel Advisory separately and simultaneously issued by the Indian Embassy in Sana for travel to Yemen.

[F. No. VI/401/1/11/2017]

ARUN KUMAR CHATTERJEE, Jt. Secy. (PSP) &

Chief Passport Officer (CPO)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.10.06 18:16:00 +05'30'